भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 615

22 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी

615. डॉ. कडियम काव्य:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वारंगल जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का जिले में खाद्यान्न आवंटन में किसी प्रकार के संशोधन या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): वर्तमान में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत तेलंगाना के वारंगल जिले में 4,51,376 लाभार्थी नि: शुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए शामिल किए गए हैं।

(ख): एनएफएसए के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का आबंटन, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित कवरेज के अंतर्गत चिन्हित एवं रिपोर्ट किए गए लाभार्थियों के आधार पर किया जाता है। यह आबंटन अधिनियम में निर्धारित खाद्यान्न पात्रता के अनुसार होता है, अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम तथा प्राथमिकता परिवारों के प्रत्येक सदस्य को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

जब भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिनियम के तहत खाद्यान्न आबंटन में संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं, जो उस राज्य के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा के भीतर नए लाभार्थियों को जोड़ने के कारण होते हैं, तो उनकी जांच की जाती है और मौजूदा नीति के अनुसार संशोधित आबंटन आदेश जारी किए जाते हैं।

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा खाद्यान्नों का जिलावार आबंटन किया जाता है।
